

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी- राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
102/2024

दायर दिनांक  
11.06.2024

निर्णय दिनांक  
01.04.2025

अनवान

1. झमकु लाल पिता मोहनलाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम


1. भूरसिंह पिता खुमाणसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. नवलसिंह पिता गोवर्द्धनसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. रतनसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. गोकलसिंह पिता केसरसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मोतीलाल पुत्र तुलसीराम जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. अमृतकुमार पिता कैलाश चन्द्र जाति खाब्या आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
7. महावीर पिता कैलाशचन्द्र जाति खाब्या आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
8. गोपाल पुत्र जोधा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
9. मदनलाल पुत्र जोधा जाति दरोगा आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
10. खेमराज पिता जीतू जाति डांगी आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
11. छगनलाल पिता भूरा जाति जाट आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
12. कृतिका पुत्री रतनलाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
13. रवि पुत्र रतनलाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
14. रितेश पुत्र रतनलाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
15. विमला पत्नी रतनलाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
16. किमी पुत्री रतनलाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
17. रिन्कु पुत्री रतनलाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
18. सुनिता पुत्री चान्दमल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री राजकुमार लड्डा  
एक तरफा

प्रार्थी  
अप्रार्थीगण



  
महायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम::—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 332 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 140, 142, 143, 154 कुल किता 4 कुल रकबा 2.17 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 330 के आराजी संख्या 141 रकबा 0.41 हैक्ट0 कृषि भूमि प्रार्थी के सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 28.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 से 5, 8 से 11 के विरुद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से एक तरफा कार्यवाही की गई। आज दिनांक को वकील प्रार्थी द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अप्रार्थी संख्या 6, 7 एवं 12 से 18 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा एक तरफा बहस बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर बहस एकतरफा सुनी गयी। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के सहखातेदार काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 332 की अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 140, 142, 143, 154 कुल किता 4 कुल रकबा 2.17 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 330 के आराजी संख्या 141 रकबा 0.41 हैक्ट0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो, किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये पत्थरगढी की जावे। पत्थरगढी हेतु भू0अभि0निरी0 सिंहपुर को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका एवं मौका नक्शा इस न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। पालनार्थ तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 01.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Ray*  
(राजेश सुवालका)  
सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
कपासन, जिला-चित्तौडगढ